12-03-2010

श्री जगदीश ठाकोर (पाटन)ः वर्ष 2009-10 विश्वव्यापी मंदी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौतीपूर्ण साल रहा है। वित्त मंत्री जी ऐसे समय में ये बजट लेकर आये हैं जबकि आवश्यक खाद्य पदार्थों के मूल्यों में 18 प्रतिशत तक वृद्धि हो चुकी है। वर्ष 2008-09 की दूसरी छमाही में देश का सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, पिछले 3 सालों के औसत 9 प्रतिशत से कम होकर सिर्फ 6.7 प्रतिशत रह गई। ऐसे में वर्ष 2010-11 के बजट के सामने काफी चुनौती भरा माहौल है।

इस बजट में वर्ष 2010-11 के लिए 11,08,749 करोड़ रुपए का बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया है जो 2009-10 के कुल बजट व्यय से 6 प्रतिशत अधिक है। इसका एक स्वागत योग्य पहलू यह भी है कि इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बजट आवंटन में 80 प्रतिशत वृद्धि की गई है, किंतु दूसरी तरफ इसका दुखद पहलू यह है कि इसमें विशेष संघटक योजना (एस.सी.पी.) में तयशुदा राशि की तुलना में दलित वर्गों को 25,430 करोड़ रुपए और ट्राइबल सब प्लान के तहत आदिवासियों को 11,565 करोड़ रुपए के आवंटन से वंचित रखा गया है। इसके सा ही एस.सी.पी. और आदिवासी विशेष योजना (टी.एस.पी.) के कार्यान्वयन में तेजी लाने का कोई संकेत नहीं दिया गया है। इस तरह देखा जाये तो यू.पी.ए. के इस बजट से अनुसूचित जातियों/जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, दलितों और मुस्लिमों को जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए 2,84,284 करोड़ रुपए और ट्राइबल सब प्लान (टी.एस.पी.) के तरह आदिवासियों के लिए 23311.29 करोड़ रुपए नियत किए जाने थे।

दो एजेंसियों, नामतः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम (एन.एस.सी.एफ.डी.डी.) की योजनाओं के लिए औसतन 14393 रुपए और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम की

योजनाओं के लिए औसतन 12892 रुपए वितरित किए जाते हैं। इससे यही लगता है कि ये योजनाएं बहुत पुरानी हैं और ठीक से नहीं बनायी गयी है। शिक्षा विकास संबंधी योजनाएं भी एक प्रकार से दलितों का मजाक भर है। प्रीमैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 77 रुपए की छात्रवृत्ति है, पोस्ट मैट्रिक के लिए 160 रुपए और उच्च शिक्षा के लिए 1551 रुपए मासिक छात्रवृत्ति है। इन सबकी राशियों को बढ़ाया जाना चाहिए।

जिन 83 विभागों/मंत्रालयों के लिए योजना आवंटन हैं, उनमें से ..... वार्षिक योजना व्यय में से एस.सी.पी. और टी.एस.पी. के लिए निधि आवंटन किया..... और रोजगार मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बायोटेक्नोलॉजी विभाग, कृषि और सहकारिता विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संस्कृति विभाग, कपड़ा मंत्रालय और सार्वजनिक वितरण विभाग ने अपनी बजट राशि की 5 प्रतिशत से भी कम राशि एस.सी.पी. और टी.एस.पी. के लिए आवंटित की है। यदि कोई उच्च विकास वाले विभागों के आबंटनों का विश्लेषण करे तो इनमें एस.सी./एस.टी. के विकास के लिए नाममात्र की योजनाएं हैं।

देश में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए कुल योजनागत आबंटनों की 46 प्रतिशत से भी अधिक राशि का प्रावधान है। किंतु अफसोस कि जिन मंत्रालय/िवभागों का मैंने जिक्र किया उनमें टी.एस.पी. या एस.पी.पी. के तहत दलितों के लिए कोई धनराशि आबंटित नहीं की गयी है।

इसी तरह जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का लक्ष्य 2022 तक 20000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता तैयार करने का है। इसके लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के योजना परिव्यय को 2010-11 में 61 प्रतिशत बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। किंतु इसमें भी एस.सी./एस.टी. के लिए कोई राशि आवंटित नहीं की गयी है। उनकी ऐसी उपेक्षा क्यों की जा रही है।

सामाजिक क्षेत्र में भी 2010-11 के प्लान आउटले को बढ़ाकर 1,37,674 करोड़ रुपए कर दिया गया है, किंतु इसमें भी एस.सी./एस.टी. के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनका शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए अलग से कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र में अवसंरचना निर्माण और रोजगार सृजन के लिए बजट आवंटन को 4000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 66,100 करोड़ रुपए कर दिया गया है किंतु ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस राशि की केवल 7.5 प्रतिशत राशि एस.सी.पी. के लिए नियत की है। दूसरी ओर नरेगा के लिए 2010-11 के लिए 40100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किंतु नरेगा के भारत के सारे जिलों में विस्तार को देखते हुए और इसके दलित लाभार्थियों की विशाल तादात को देखते हुए यह राशि काफी नहीं है।

इसी प्रकार शहरी इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का एलोकेशन 75 प्रतिशत बढ़ाकर 5400 करोड़ रुपए कर दिया गया है और आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन विभाग का एलोकेशन 150 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2010-11 के लिए 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, किंतु इन दोनों के अंतर्गत भी एस.सी.पी. या टी.एस.पी. के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी है।

इसी तरह 726 करोड़ रुपए की बजट राशि पाने वाले पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अपने नेशनल क्लीन एनर्जी फण्ड के तहत एस.सी./एस.टी. समुदायों के लिए कोई वित्तीय प्रावधान नहीं किया है जबकि ये गरीब तबके ही पर्यावरणीय बदलावों और प्रदूषण के ज्यादा शिकार होते हैं।

केन्द्रीय बजट से 15875 करोड़ रुपए पाने वाले रेल मंत्रालय ने, जिसमें नौकरियां देने और टेंडर जारी करने की अपार क्षमता है, एस.सी./एस.टी. कल्याण के लिए कोई धनराशि का प्रावधान नहीं किया गया है।

इन सब हालातों को देखते हुए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह योजना आयोग को यह निर्देश दे कि वह एस.सी.पी. और टी.एस.पी. को इनके दिशानिर्देशों के अनुसार धनराशि का आवंटन सुनिश्चित करे। इसके साथ ही बजट प्लान करते समय दलित और आदिवासी संगठनों से सलाह मशविरा किया जाये। एस.सी.पी./टी.ए.पी. को अधिनियम का रूप दिया जाये जिसमें दलितों के हकों को साफ-साफ परिभाषित किया जाये और उनकी इन योजनाओं से संबंधित शिकायतों के निवारण की व्यवस्था हो। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आदिवासी कार्य मंत्रालय विभिन्न योजनाओं के कार्य निष्पादन की समीक्षा करके ही अलग-अलग योजनावार आवंटन करें और टी.एस.पी./एस.पी.सी. के लिए एक लिंक बजट बुक बनायें। इसके अलावा प्रत्येक मंत्रालय में सर्व समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए एस.सी.पी./टी.एस.पी. के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त जनशक्ति और वित्तीय संसाधन होने चाहिए। सभी मंत्रालयों/िवभागों मं एस.सी.पी के लिए माइनर कोड 789 और टी.एस.पी. के लिए माइनर कोड 796 खोला जाए। सभी मंत्रालयों/िवभागों में टी.एस.पी./एस.सी.पी. मॉनीटरिंग कमेटी बनायी जाये जिनमें शिक्षित एस.सी./एस.टी., ओ.बी.सी. और माईनोरिटी युवाओं को सदस्य बनाया जाये। ऐसी समितियां जिला, राज्य और केन्द्रीय स्तर पर इन योजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन पर निगरानी रखे।

मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री जी मेरे इन सुझावों पर विचार करेंगे और समाज के ओ.बी.सी., माइनोरिटर दलित और उपेक्षित वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर बजट में स्पेशल कांपोनेन्ट प्लान और ट्राइबल सब प्लान के लिए समुचित वित्तीय व्यवस्था करेंगी।

1. पूरे विश्व में तीन साल वैश्विक मंदी रही है। सभी देशों में बैंकों और आर्थिक संकटों ने कई देशों की दशा बिगाड़ दी है।

2. 1972 के वर्षों में जो सूखा था। उसके भारी सूखा का सामना हम कर रहे हैं। धान-गन्ना दलहन की कम मात्रा में पैदावार हुई - कई जगहों पर भारी वर्षों के कारण जनजीवन प्रभावित रहा - खेती विमाल रण। खेती पैदावार नष्ट हो गयी। पूरे देश में बैंक के विफल न हो उसके लिए कदम उठायें - समय-समय पर चर्चा करके परिस्थितियों को सुधारा।

3. खेती पेदसों के भाव किसान को ज्यादा दिया गेंहू-चावल-कपास सपोर्ट प्राइस काफी दिया किसान को लूटने नहीं दिया।

4. किसानों के 7000 करोड़ के ऋण माफ किए खादों में सब्सिडी दी, महाराष्ट्र-आंध्रा-केरल में सहायता दी। 2008-09 में 2,80,000 करोड़ के ऋण अलग से दिय - अबकी बार - 3,18,000 करोड़ के किसानों को ऋण देने जा रहे हैं। 5औ से किसानों को ऋण देने का फैसला। देश के रूप में बड़ी आबादी वाला फसल को और रोजगार देने वाले किसान की हमारी सरकार ने हर तरह से संभाला और किसान खुशहाल रहा - और दुबारा फिर हमारी सरकार बनी।

5. अल्पसंख्यक समुदाय के लिए - सचर कमेटी के सिफारिशों को लागू किया - शिक्षा में उत्थान किया - छात्रवृत्ति में अल्पसंख्यक समुदाय के 40 लाख छात्रों को लाभ होगा। 15औ अल्पसंख्यक वस्तियों में स्कूल खोले गए या स्कूल के कमरे बनाये अल्पसंख्यक बस्तियों की सुविधाओं अच्छी करने का प्रबंध किया - बैंक ऋण का लक्ष्यांक 15 प्रतिशत रहा। हमारी सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए 1700 करोड से बढ़ाकर 2600 करोड़ बजट में आवंटन किया है। गुजरात में

प्रीमैट्रिक छात्रों की स्कॉलरशिप का जो पार्टी है जो गुजरात सरकार नहीं देता है। इसके हिसाब से काफी छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिली है। सुझाव या गुजरात सरकार पर हमारी सरकार करें।

- गंगा नदी हमारी भी है। करोड़ों ऋद्धालुओं की आस्था है। गंगा नदी मिशन में 500 करोड़ का बजट में आवंटन किया है। कुल राशन का आवंटन का 12औ है। सरकारी नौकरियों में तीन वर्षों के दौरान वृद्धि

आज सारा देश आतंकवाद से ग्रस्त है विशेषकर ने प्रदेश ने बम धमाके, नरसंहार किये हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर समय-समय पर पुलिस आधुनिकीकरण इत्यादि पर विचार तथा चर्चा हुई किंतु मैं सदन को वास्तविक स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं।

	शस्त्र का नाम	शस्त्रों की आवश्यकता	वर्तमान शस्त्र	शस्त्र की कमी	प्रतिशत
1.	9 एम.एम. मशीनगन	7278	2320	4956	68औ
2.	एम.पी. मशीनगन	300	65	235	78औ
3.	7.62 एस.एल.आर.	11233	3672	7571	67औ
4.	7.62 ए.के. 47	1500	1033	463	31औ

गुजरात पुलिस के पास वर्षों पुराने हैं। इसके अतिरिक्त गोला बारूद, कारतुसों की कमी है। राज्य के आठ जिलों में तो टियर गैस के गोले तक नहीं है जिन जिलों में है वह 7 वर्ष पुराने है।

राज्य में ए.टी.एस. का गठन हुआ उसमें सेक्शन 64 पदों में मात्र 39 कर्मचारी कार्यरत है। इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कोई विशिष्ट प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

गुजरात पुलिस के पास संचार साधनों, वाहनों, आधुनिक शस्त्रों, फिंगर प्रिंट आइडेंटिफिकेट सुविधाओं का अभाव है। राज्य सरकार ने जो कुछ नए वाहन खरीदे हैं उनका उपयोग उच्च अधिकारियों करते हैं। दूर-दराज के गांव, ब्लॉक में टू-व्हीलर, फोर-व्हीलर आतंकवादियों से मुकाबला करने में सक्षम हैं।